अनुदान संख्या 104 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	662,47,00		662,52,00	524,07,21	–138,44,79
पूरक	Supplementary	5,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					131,87,28
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			6,53,00	2,72,47	–3,80,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,03,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	950.00	735.93	733.14	–2.79
पु.	R.	–214.07			
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	55102.00	45705.80	45093.36	–612.44
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	–9399.20			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4279.00			
पू.	S.	1.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–4280.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5851.00			
पू.	S.	1.00	6622.99	6580.71	–42.28
पु.	R.	770.99			

(I) 6008.00 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2006 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4765.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204'' -

(क) ''छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - एचआईवी/एड्स से संबंधित स्कीम'' - 520.00 लाख रु.;

(ख) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - एचआईवी/एड्स से संबंधित स्कीम'' - 380.00 लाख रु.;

(ग) ''खेलकूद और खेल'' -

(i) ''राज्य खेलकूद अकादमी'' - 200.00 लाख रु.; और

(ii) ''मादक औषध (डोप) परीक्षण संबंधी स्कीम'' - 400.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.6008.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in December, 2006) remained wholly unutilised under forty heads; of these Rs.4765.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" –

(a) "Youth Welfare Programmes for Students – Scheme relating to HIV/AIDS" – Rs.520.00 lakhs;

(b) "Yourth Welfare Programmes for Non-Students – Scheme relating to HIV/AIDS" – Rs.380.00 lakhs;

(c) "Sports and Games" -

(i) "State Sports Academy" - Rs.200.00 lakhs; and

(ii) "Scheme for Dope Test" - Rs.400.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने/संशोधित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-finalisation/revision of schemes.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' -

(B) Major Head "2552" –

(क) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन नेहरू युवा केंद्र'' - 500.00 लाख रु.;

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra" – Rs.500.00 lakhs;

(ख) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' -350.00 लाख रु.;

(b) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students – National Service Scheme" – Rs.350.00 lakhs;

(ग) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल'' -

(c) "Sports and Youth Services – Sports and Games" -

(i) ''राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता'' - 440.00 लाख रु.;

(i) "Assistance to National Sports Federations" – Rs.440.00 lakhs;

(ii) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 1674.00 लाख रु.; और

(ii) "Sports Authority of India" – Rs.1674.00 lakhs; and

(iii) ''खेलकूद अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदानों की स्कीम'' - 301.00 लाख रु. (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे।

(iii) "Scheme of grants for creation of Sports Infrastructure" – Rs.301.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2006).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251'' - ''सचिवालय - युवा मामले और खेल मंत्रालय'' के अंतर्गत 216.86 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Youth Affairs and Sports" - saving of Rs.216.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken by the officers/ staff members.

(III) मुख्य शीर्ष "2204'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(A) "Direction and Administration" –

(क) ''नेहरू युवा केंद्र संगठन'' - 700.25 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 6202.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 163.42 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 555.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कार्यक्रम परामर्शदाता कक्ष/क्षेत्रीय केंद्रों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर'' - 100.25 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1500.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम'' - 162.21 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' -

(क) ''राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीमें'' -239.18 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने, व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम'' -253.67 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Nehru Yuva Kendra Sangathan" - saving of Rs.700.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6202.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in March, 2007) was due to availability of unspent balance and non-receipt of pending utilisation certificates.

(b) "National Service Scheme" - saving of Rs.163.42 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.555.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in March, 2007) was due to non-filling up of vacant posts and less demand received from Programme Advisor's Cell/Regional Centres.

(B) "Physical Education – Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior" - saving of Rs.100.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1500.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in March, 2007) was due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage.

(C) "Youth Welfare Programmes for students – Scheme of financial assistance for Development and Empowerment of Adolescents" - saving of Rs.162.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage and non-submission of required documents by various non-governmental organisations.

(D) "Youth Welfare Programmes for Non-students" -

(a) "National Service Volunteers Schemes" – saving of Rs.239.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage, receipt of less number of viable proposals and availability of unspent balance of previous year.

(b) "National Integration Programmes" - saving of Rs.253.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(ग) ''युवा कार्यकलापों का संवर्धन और प्रशिक्षण'' - 265.23 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित प्रक्रिया लागू किए जाने और लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घ) ''किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम'' - 529.62 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता'' - 660.21 लाख रु. की बचत (4360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 1203.25 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 17370.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''खेलकूद कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन''- 820.00 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) ''पुरस्कारों से संबंधित स्कीमें'' - 372.08 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपुर्यक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''राष्ट्रमंडल खेल'' - 2657.00 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और योजना आयोग द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निधि सीधे ही उपलब्ध कराए जाने के कारण हुई।

(c) "Promotion of youth activities and training" - saving of Rs.265.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to implementation of revised procedure and non-receipt of pending utilisation certificates.

(d) "Scheme of financial assistance for Development and Empowerment of Adolescents" – saving of Rs.529.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the implementing agencies.

(E) "Sports and Games" -

(a) "Assistance to National Sports Federations" - saving of Rs.660.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4360.00 lakhs);

(b) "Sports Authority of India" – saving of Rs.1203.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.17370.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in March, 2007);

(c) "Incentives for promotion of Sports Activities" - saving of Rs.820.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs); and

(d) "Schemes relating to Awards" - saving of Rs.372.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage.

(e) "Commonwealth Games" - saving of Rs.2657.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and providing fund to Government of Maharashtra directly by the Planning Commission.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' 139.82 लाख रु. की बचत (251.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों के संपर्क अधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन'' - 115.99 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित प्रक्रिया लागू किए जाने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) छह शीर्षों के अंतर्गत 417.37 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (382.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2204'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान'' - 169.82 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 167.55 लाख रु. था।

(खा) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के संवर्धन के लिए अनुदानों की स्कीम'' - 112.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 90.00 लाख रु. था।

(ख) ''प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी स्कीम'' -100.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(IV) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Students – National Service Scheme" – saving of Rs.139.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.251.00 lakhs) was due to non-receipt of requisite information from some state liaison officers.

(B) "Grants for Central Plan Schemes – Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Non-Students – Promotion of National Integration" – saving of Rs.115.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to implementation of revised procedure and non-receipt of utilisation certificates.

(V) Under six heads savings of Rs.417.37 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 78 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.382.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.3.00 lakhs in August, 2006 and March, 2007 under Major Head "2204" – under the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for Non-students - Exchange of delegations of Youth at International Level" - Rs.169.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.167.55 lakhs.

(B) "Sports and Games" -

(a) "Scheme of grants for promotion of sports in Universities and Colleges" - Rs.112.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.90.00 lakhs.

(b) "Scheme relating to talent Search and training" - Rs.100.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes" - under the following heads:-

(का) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' -609.32 लाख रु. का अधिक व्यय (2590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित कार्यकलापों को लागू करने और राष्ट्रीय सेवा स्कीम के विशेष अभियान कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता प्राप्त होने और पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students – National Service Scheme" – excess of Rs.609.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2590.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by various State Governments for implementation of regular activities and special campaigning programme of National Service Scheme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(खा) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - खेलकूद अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदानों की स्कीम''- 396.20 लाख रु. का अधिक व्यय (2680.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Sports and Youth Services - Sports and Games - Scheme of Grants for creation of sports infrastructures" - excess of Rs.396.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2680.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	603.00	350.00	272.47	–77.53
पु.	R.	–253.00			

(I) 253.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले ''खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य व्यय - राज्य खेलकूद अकादमी'' के अंतर्गत स्कीम का संशोधन किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.253.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under "Sports and Youth Services - Other Expenditure -State Sports Academy" - due to revision of the scheme.

(II) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - युवा छात्राावास - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/अन्य अभिकरणों को अदायगी'' के

(II) Under "Sports and Youth Services - Youth Hostels - Payment to CPWD/Other agencies" -

अंतर्गत 127.53 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

saving of Rs.127.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less expenditure incurred by the Central Public Works Department.